

प्रेषक,

ई-मेल

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव, गृह (कारा/आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा० एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/मुजफ्फरपुर/ भागलपुर।
क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।
सभी अधीक्षक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र
अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर,
राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/
जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना/सभी नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल,
अगमकुआँ, पटना/लेडी एल्लिगन जनाना अस्पताल, गया/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक,
अतिविशिष्ट अस्पताल, बिहार।

पटना, दिनांक 27/5/2026

विषय : बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार दन्त सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के Online ePAR (SPARROW System) आलेखन के सन्दर्भ में Reporting, Reviewing and Accepting Authority तथा ePAR का विहित प्रपत्र।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार दन्त सेवा संवर्ग के चिकित्सकों का वर्ष 2025-26 में Online ePAR (SPARROW System) आलेखन हेतु सात दिनों के अन्दर नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- 1. विहित-प्रपत्र।

2. Reporting Reviewing एवं Accepting Authority का निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन की प्रति।

विश्वासभाजन
Vinod Kumar Pathak
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग/दन्त चिकित्सा सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों के PAR के संदर्भ में उनका Reporting, Reviewing एवं Accepting Authority का निर्धारण ।

1.	सामान्य /विशेषज्ञ /दन्त चिकित्सकों के मूल कोटि के पद के लिए ।	
(i)	Reporting	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
(ii)	Reviewing	सिविल सर्जन
(iii)	Accepting	क्षेत्रीय अपर निदेशक
2.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के लिए	
(i)	Reporting	सिविल सर्जन
(ii)	Reviewing	क्षेत्रीय अपर निदेशक
(iii)	Accepting	निदेशक प्रमुख प्रशासन
3.	उप निदेशक एवं समकक्ष पदों के लिए :-	
(i)	Reporting	सिविल सर्जन
(ii)	Reviewing	क्षेत्रीय अपर निदेशक
(iii)	Accepting	निदेशक प्रमुख प्रशासन
4.	अति विशिष्ट अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सकों के लिए	
(i)	Reporting	संस्थान के निदेशक
(ii)	Reviewing	निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
(iii)	Accepting	सचिव
5.	अधीक्षक /सिविल सर्जन /अपर निदेशक एवं समकक्ष Level-13	
(i)	Reporting	निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
(ii)	Reviewing	सचिव
(iii)	Accepting	प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव
6.	निदेशक /निदेशक प्रमुख (मुख्यालय) के लिए	
(i)	Reporting	सचिव
(ii)	Reviewing	प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव
(iii)	Accepting	विभागीय मंत्री
7.	बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सा पदाधिकारी, जो राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में एस०आर/ट्यूटर/सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए	
(i)	Reporting	HOD
(ii)	Reviewing	अधीक्षक/प्राचार्य (Teaching के लिए प्राचार्य एवं Non Teaching के लिए अधीक्षक
(iii)	Accepting	निदेशक प्रमुख प्रशासन

58

8.	बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के लिए (सीनियर रेजिडेंट/द्यूटर/सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक)	
	A. सीनियर रेजिडेंट/द्यूटर/सहायक प्राध्यापक /सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक	
(i)	Reporting	विभागाध्यक्ष
(ii)	Reviewing	प्राचार्य/अधीक्षक
(iii)	Accepting	निदेशक प्रमुख
	B. विभागाध्यक्ष/अधीक्षक	
(i)	Reporting	प्राचार्य
(ii)	Reviewing	निदेशक प्रमुख
(iii)	Accepting	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव
	C. प्राचार्य	
(i)	Reporting	निदेशक प्रमुख
(ii)	Reviewing	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव
(iii)	Accepting	विभागीय मंत्री



9

